जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना किरतपुर **दिनांक 17.01.2025**

थाना किरतपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 06/2025 धारा 125/127/281/287/288/355 बीएनएस से संबंधित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

अवगत कराना है कि कतिपय सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर थाना किरतपुर क्षेत्रान्तर्गत भनेडा टोल प्लाजा के पास गाडियो से स्टंट, आतिशबाजी करते हुये बर्थडे सेलिब्रेशन की वीडियो वायरल हुई थी। उक्त के संबंध में थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 06/2025 धारा 125/127/281/287/288/355 बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

थाना किरतपुर पुलिस ने उपरोक्त अभियोग मे वांछित अभियुक्त दिलशाद पुत्र महताब निवासी मौ0 रम्मपुरा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को पूर्व मे ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

कार्यवाही –

थाना किरतपुर पुलिस ने उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त बिलाल पुत्र मोबीन निवासी मौ0 जाब्तागंज थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

बिलाल पुत्र मोबीन निवासी मौ0 जाब्तागंज थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1- व0उ0नि0 योगेन्द्र शर्मा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

2- आरक्षी राहुल सैनी थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना चांदपुर **दिनांक – 17.01.2025**

थाना चांदपुर पुलिस ने अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही विवरण –

थाना चांदपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त नाजिम पुत्र शमीम निवासी ग्राम तालिबपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को 01 अवैध तमन्चा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया। इस संबंध मे थाना चांदपुर पर 27/25 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

नाजिम पुत्र शमीम निवासी ग्राम तालिबपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

बरामदगी विवरण

01 अवैध तमन्चा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त नाजिम उपरोक्त –

1. मु0अ0सं0 230/19 धारा 380/457/411 भादवि0 थाना नूरपुर बिजनौर।
2. मु0अ0सं0 289/19 धारा 394/411 भादवि0 थाना नूरपुर बिजनौर।
3. मु0अ0सं0 491/19 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना नूरपुर बिजनौर।
4. मु0अ0सं0 27/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चांदपुर बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री शादाब थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

2.हे0का0 389 राहुल कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

3.का0 2436 राजीव राठी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना कोतवाली शहर   दिनॉक 17.01.2025

दिनांक 15.01.2025 को थाना कोतवाली शहर क्षेत्रान्तर्गत जहरीले पदार्थ का सेवन करने से युवती की मृत्यु हो जाने के संबंध में।

संक्षिप्त विवरण–

अवगत कराना है कि थाना कोतवाली क्षेत्र के गांव छोटा इटावा निवासी नरगिस पुत्री श्री रईस अहमद का अब्दुल रहमान पुत्र गुफरान निवासी मनिहारी सराय थाना नगीना बिजनौर (जोकि मुंबई में सैलून की दुकान पर काम करता है) से प्रेम प्रसंग था तथा नरगिस, अब्दुल रहमान से शादी करना चाहती थी। नरगिस के परिजन उसकी शादी गांव टिक्कोपुर में उसकी मर्जी के खिलाफ करना चाहते थे। नरगिस ने अब्दुल रहमान को मुम्बई से मिलने के लिए बिजनौर बुलाया था।

दिनांक 15.01.2025 को समय करीब 14.00 बजे दोनों एस0आर0एस0 मॉल बिजनौर पर मिले। नरगिस गांव चांदपुर फेरु निवासी अपनी दोस्त के साथ एस0आर0एस0 मॉल पर आ गई थी, नरगिस अब्दुल रहमान को मुंबई ले जाने के लिए कहती रही लेकिन अब्दुल रहमान ने यह कहकर मना कर दिया कि वह नरगिस के माता–पिता की अपने परिजनों से शादी की बात करायेगा। इसके बाद तीनो ई–रिक्शा में बैठकर एस0आर0एस0 मॉल से रोडवेज बस स्टैण्ड बिजनौर आ गए थे। अब्दुल रहमान रिक्शा वाले को ₹50 देकर दोनों लड़कियों को उनके घर छोड़ने के लिए कहकर नगीना चला गया था। नरगिस ने अपने घर न जाकर किसी दुकान से कोई कीटनाशक पदार्थ ले लिया और अपनी दोस्त को अपने घर जाने के लिए कहा तथा नरगिस पुनः एस0आर0एस0 मॉल पर आई, जहॉ उसने कीटनाशक पदार्थ का सेवन कर लिया। नरगिस ने मॉल में किरतपुर निवासी एक महिला के मोबाइल फोन से अपने पिता रईस अहमद को बताया कि वह एस0आर0एस0 मॉल पर है और मॉल के बाहर बैठ गई, जंहा उसकी हालत बिगड़ गई। कुछ देर बाद नरगिस के परिजन भी आ गए थे, जो उसे सिंह नर्सिंग होम डॉक्टर बीरबल के पास उपचार हेतु लेकर गए। चिकित्सक द्वारा नरगिस को गंभीर अवस्था होने के कारण उसको मेरठ रेफर कर दिया गया था। मेरठ ले जाते समय रास्ते मे नरगिस की मृत्यु हो गई। थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मृतका के शव को पंचायतनामा की कार्यवाही के उपरान्त पोस्टमार्टम कराया गया, जिसका विसरा प्रिजर्व किया गया है।

एसआरएस मॉल में सीसीटीवी कैमरों में नरगिस, बुसरा व अब्दुल रहमान की वीडियो रिकॉर्डिंग है। नरगिस की बड़ी बहन उजमा को सारी बाते पता थी। नरगिस, उजमा को घर से सारी बाते बताकर बिजनौर आई थी। सभी तथ्यों की जानकारी होने से नरगिस के परिजन सन्तुष्ट हैं। नरगिस के पिता द्वारा थाना कोतवाली शहर पर लिखित तहरीर दी गई है, जिसमें नरगिस के स्वयं किसी कीटनाशक पदार्थ का सेवन करने से उसकी मृत्यु होना अंकित है।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर **दिनांक – 17.01.2025**

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने मु0अ0सं0 31/25 धारा 103(1)/109(1)/3(5) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 16.01.2025 को वादी श्री दीपक कुमार पुत्र श्री डालचन्द्र निवासी ग्राम गावडी बुजुर्ग थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि दिनांक 15/16.01.2025 की रात्रि में गांव में ही जागरण कार्यक्रम में था। जागरण में वादी के ताऊ का लडका रोहित उर्फ रिंकु पुत्र रोहताश भी गया था कि रात्रि में जागरण में वादी के ताऊ के लडके की 1.बलराम पुत्र छंगा 2.देशराज पुत्र बलराम 3.विष्णु पुत्र कृपाल निवासीगण ग्राम गावडी बुजुर्ग थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर 4.रमेश पुत्र जगपाल निवासी ग्राम बमनौली थाना चांदपुर जनपद बिजनौर के साथ गाली-गलौच व कहासुनी हो गयी। इसी दौरान अभियुक्तों ने रोहित के ऊपर जान से मारने की नियत से फावड़े एवं लोहे की रॉड से वार किया, जिससे रोहित (रिंकु) गम्भीर रुप से घायल हो गया, जिसे चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 31/25 धारा 103(1)/109(1)/3(5) बीएनएस बनाम बलराम आदि कुल 04 नफर पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

आज दिनांक 17.01.2025 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से सम्बंधित अभियुक्त देशराज पुत्र बलराम सिंह निवासी ग्राम गावडी बुजुर्ग थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

नोट–थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा अभियुक्त विष्णु व बलराम को पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

देशराज पुत्र बलराम सिंह निवासी ग्राम गावडी बुजुर्ग थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.श्री उदयप्रताप, प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

2.उ0नि0 तेजवीर सिंह थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

3.उ0नि0 शिवम सक्सैना थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

4.कां0 1738 रविन्द्र कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

5.कां0 2501 शिवम थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नूरपुर **दिनांक – 17.01.2025**

थाना नूरपुर पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड में एक अभियुक्त को अवैध शस्त्र, पशु वध करने के उपकरण व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सहित किया गिरफ्तार। मौके से एक गौवंशीय पशु को जीवित बचाया गया।

कार्यवाही का विवरण-

दिनांक 16.01.2025 की रात्रि में थाना नूरपुर पुलिस को चैकिंग के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम दरियापुर के जंगल में 02 अभियुक्तो द्वारा एक गाय को बांधकर गौकशी की घटना कारित करने की फिराक में है। सूचना पर थाना नूरपुर पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर देखा तो अभियुक्तो द्वारा गन्ने के खेत में एक गाय को रस्सी के द्वारा पेड से बांध रखा है तथा गौकशी की फिराक में है। पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियुक्तगणों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया तो अभियुक्तगणों द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में 01 अभियुक्त के पैर में गोली लगी, जिसे मौके पर ही पुलिस टीम द्वारा घायल अवस्था में हिरासत में लिया गया तथा 01 अभियुक्त अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। कार्यवाही के दौरान एक गोली आरक्षी सिद्धान्त की बांयी बाजू में लगी। पुलिस द्वारा घायल पुलिसकर्मी व घायल अभियुक्त को उपचार हेतु सीएचसी नूरपुर में भर्ती कराया गया तथा फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु जंगल में कांबिग की जा रही है।

घायल अभियुक्त ने अपना नाम उस्मान पुत्र काले निवासी मौहल्ला बुद्ध बाजार नीदडू थाना धामपुर जनपद बिजनौर बताया तथा अपने फरार साथी का नाम मौ0 आरिफ पुत्र मौ0 शमीम निवासी मौ0 कुरैशियान अकबराबाद थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर बताया।

अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस, पशु वध करने के उपकरण व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को बरामद किया गया। साथ ही मौके से गौवंशीय पशु को जीवित बचाया गया। अभियुक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। इस संबंध में अभियोग पंजीकरण व अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्त उस्मान उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि वह फरार साथी मौ0 आरिफ के साथ मिलकर जंगल में घूमंतू गौवंशीय पशुओं को पकड लेते है तथा रात के समय जंगल में काट कर आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से उसके गौवंशीय मांस को आसपास के गांवो में बेच देते है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

उस्मान पुत्र काले निवासी मौहल्ला बुद्ध बाजार नीदडू थाना धामपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

1. 01 तमंचा 315 बोर, 01 खोखा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।
2. पशु वध करने के उपकरण।
3. 01 जीवित गौवंशीय पशु।
4. घटना मे प्रयुक्त मोटरसाइकिल नम्बर UP20CP-5065 रंग काला स्प्लेन्डर प्लस।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.प्रभारी निरीक्षक रविन्द्र कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
2.उ0नि0 कुलदीप कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
3.उ0नि0 रवि कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
4. आरक्षी बोबी थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
5. आरक्षी हरिओम कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
6. आरक्षी आर्यन थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
7. आरक्षी अमित कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
8. आरक्षी सिद्धान्त थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।